अमन समीर, भा0प्र0से0, जिला पदाधिकारी, बक्सर की अध्यक्षता में दिनांक 17.08.2020 को सम्पन्न कोविड–19 की दैनिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 17.08.2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से कोविड–19 के अन्तर्गत कार्यो की निम्नवत् समीक्षा की गई एवं आवश्यक निदेश दिये गये–

(1) सिविल सर्जन एवं डी0पी0एम0 को निदेशित किया गया कि 200 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था दो दिनों के अन्दर करना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / सिविल सर्जन)

(2) सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में कोविड–19 का जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे। इसके अन्तर्गत प्रति पंचायत प्रतिदिन 500 के दर से जाँच कराने का निदेश दिया गया। बाढ़ प्रभावित पंचायतों में जाँच कार्य 31 अगस्त 2020 तक पूर्ण करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में यह भी निदेशित किया गया कि जाँच हेतु मोबाईल जाँच टीम की भी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / अनुमण्डल पदाधिकारी / सिविल सर्जन)

(3) सिविल सर्जन को निदेशित किया गया कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गर्भवती महिलाएँ जिनका प्रसव 30.09.2020 तक संभावित है, ऐसे महिलाओं को सूचीबद्ध किये जाने एवं जाँच हेतु टीम का गठन करेंगे तथा अनुमण्डल पदाधिकारी को अवगत करायेंगे। अनुमण्डल पदधिकारी अपने स्तर उक्त के टीम के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का सर्वे कराने, सूचीबद्ध कराने एवं जाँच कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: अनुमण्डल पदाधिकारी / सिविल सर्जन)

(4) कोविड–19 की जाँच की समीक्षा की गई। डी0पी0एम0 एवं सिविल सर्जन को कंटेनमेंट जोन के सभी घरों में कोविड–19 की जाँच कराने का निदेश दिया गया। अनुमण्डल पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / अनुमण्डल पदाधिकारी / सिविल सर्जन)

(5) अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव को निदेशित किया गया कि कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण के क्रम में पाये गये कमियों का निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे। बैठक में बताया गया कि कंटेनमेंट जोन में निरीक्षण कार्य अब प्रत्येक मंगलवार, बृहस्पतिवार एवं शनिवार को कराया जाएगा। विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर को निदेशित किया गया कि निरीक्षण हेतु पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करायेंगे तथा निरीक्षण प्रपत्र उपलब्ध करायेंगे। निरीक्षण हेतु जाने वाले पदाधिकारी निरीक्षण के उपरान्त उसी दिन संबंधित अनुमण्डल कार्यालय में उपस्थित होंगे तथा उपस्थित वरीय पदाधिकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी को आवश्यक जानकारी देंगे। उप विकास आयुक्त इस कार्य का अपने स्तर से अनुश्रवण करेंगे।

(अनु0: विशेष कार्य पदाधाकारी / अनुमण्डल पदाधिकारी / उप विकास आयुक्त)

(6) कोविड–19 की जाँच के क्रम में पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों को सांस्थिक आईसोलेशन / होम आईसोलेशन में भेजे जाने की समीक्षा की गई। बैठक में स्पष्ट किया गया कि नगर क्षेत्र के पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों को सांस्थिक आईसोलेशन में भेजा जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र के पॉजिटिव पाये गये व्यक्तियों को,

✓

यदि कुल जाँच का 5 प्रतिशत से अधिक पॉजिटिव हो तो उन्हें भी सांस्थिक आईसोलेशन में भेजा जाएगा। साथ ही यह संख्या 2 से 5 प्रतिशत के बीच हो तो कुल पॉजिटिव पाये गये संख्या का 20 प्रतिशत तक लोगों को निर्धारित शर्त्तो के अधीन होम आईसोलेशन में रखने की अनुमति दी जाएगी। अनुमण्डल पदाधिकारी एवं सिविल सर्जन इसे सुनिश्चित करायेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / अनुमण्डल पदाधिकारी / सिविल सर्जन)

(7) कोविड–19 की जाँच एवं इन्ट्री की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रतिदिन किये गये जाँच का इन्ट्री नहीं हो पा रहा है, जिसका मुख्य कारण जाँच केन्द्र से इन्ट्री हेतु डाटा उपलब्ध नहीं कराया जाना है। इस पर अप्रसन्नता प्रकट की गई एवं डी0पी0एम0 तथा सिविल सर्जन को निदेशित किया कि बचे हुए डाटा प्राप्त कर नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही यह सुनिश्चित करेंगे कि दिनांक 18.8.2020 से कोई बैकलॉक डाटा नहीं रहे। नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर को निदेशित किया गया कि प्राप्त डाटा का इन्ट्री कराना सुनिश्चित करेंगे।

(अनु0: डी0पी0एम0 / नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर / सिविल सर्जन)

17/8/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।

ज्ञापांक 10-2931 / गो0 बक्सर दिनांक 17 / 08 / 2020

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, बक्सर / डी0पी0एम0, बक्सर / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बक्सर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी / जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, बक्सर / जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, बक्सर / नोडल पदाधिकारी, कोविड केयर डाटा सेंटर / विशेष कार्य पदाधिकारी, जिला गोपनीय शाखा, बक्सर / अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर एवं डुमरांव / नोडल पदाधिकारी, आईसोलेशन सेंटर अनुश्रवण कोषांग / नोडल पदाधिकारी टेस्टिंग एवं प्रतिवेदन कोषांग / सिविल सर्जन, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता / उप विकास आयुक्त, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/8/20

जिला पदाधिकारी,
बक्सर।